भाकृअनुप-केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान
क्षेत्रीय केंद्र-मोदीपुरम, मेरठ (उ.प्र.)
ICAR-Central Potato Research Institute
Regional Station, Modipuram-250110, Meerut (UP)

पत्रांक: 5-56/नालवा/2020-21/ 32   दिनांक: 22 अप्रैल, 2020

सेवा में,

विषयः गेंहूँ के नालवा की बिक्री हेतु कुटेशन आमंत्रित करने के संबंध में।

महोदय,

इस कार्यालय के मछरी, सी. ब्लॉक तथा पाबली प्रक्षेत्रों पर नालवा बिक्री हेतु उपलब्ध है। इच्छुक व्यक्ति गेहूं का नालवा खरीदने के लिए प्रति हैक्टेयर के हिसाब से अपने अधिकतम रेट मछरी, सी. ब्लॉक तथा पाबली प्रक्षेत्रों के लिए अलग-अलग लिफाफे में इस कार्यालय को दिनांक 07.05.2020 दोपहर 12:30 बजे तक प्रेषित करें। कुटेशन उसी दिन दिनांक 07.05.2020 दोपहर 03:00 बजे समिति सदस्यों द्वारा खोली जाएगी। यदि उक्त तिथियों में कोई अवकाश पड़ता है तो कुटेशन अगले कार्य दिवस में उपरोक्त समयानुसार ही स्वीकार एवं खोली जायेगी।

कुटेशन बन्द लिफाफे में तथा लिफाफे के ऊपर स्पष्ट शब्दों में <u>"मछरी प्रक्षेत्र / पाबली प्रक्षेत्र / सी. ब्लॉक पर गेहूं के नालवे की बिक्री हेतु कुटेशन"</u> लिखा होना चाहिये।

कुटेशन के साथ प्रक्षेत्र के सामने दर्शाई गई निम्नानुसार धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट भी संलग्न करना अनिवार्य होगा। बिना धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट लगाये कुटेशन मान्य नहीं होंगी। बैंक ड्राफ्ट <u>वरिष्ठ वैज्ञानिक, केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान केन्द्र, मोदीपुरम के नाम भारतीय स्टेट बैंक, पल्लैड़ा (कोड सं. 3067)</u> पर देय होना चाहिये।

प्रक्षेत्र	एरिया	धरोहर राशि
मछरी प्रक्षेत्र	लगभग 49.00 है.	₹ 10,000/-
पाबली प्रक्षेत्र	लगभग 05.65 है.	₹ 2,000/-
सी. ब्लॉक	लगभग 09.70 है.	₹ 2,000/-

नियम एवं शर्तें:-

1. कार्य आदेश प्राप्त करने के पश्चात् नालवे का सम्पूर्ण भुगतान कैशलेस माध्यम से जैसे- बैंक ड्राफ्ट/ऑनलाईन ट्रांसफर अथवा कार्यालय में उपलब्ध पी.ओ.एस. मशीन के माध्यम से ही स्वीकार्य होगा।
2. जिस व्यक्ति के नालवे के रेट्स अधिकतम होंगे, उसको नालवे का पूरा भुगतान कार्यालय आदेश प्राप्त करने के पश्चात् तुरन्त कार्यालय में जमा कराना होगा।
3. नालवा एक सप्ताह के अन्दर संबंधित प्रक्षेत्र से स्वंय काटकर तथा स्वंय के वाहन से उठाकर ले जाना होगा।
4. संबंधित प्रक्षेत्र से किसी भी तरह के यंत्र, ट्रैक्टर तथा श्रमिक उपलब्ध नहीं करवाये जायेंगे।
5. कुटेशन स्वीकृत होने पर यदि कुटेशन दाता समय सीमा में नालवे का उठान नहीं कर पाता तो ऐसी स्थिति में जमा धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी और इस विषय पर कोई भी पत्राचार नहीं किया जाएगा।
6. नुकसान होने की स्थिति में ठेकेदार/कुटेशनदाता स्वंय ही जिम्मेदार होगा।
7. अन्य शर्तें यदि क़ोई हो तो कार्य शुरु होने से पहले बता दी जायेगी, जिसे मानने के लिए आप बाध्य होंगे।
8. आयकर नियमों के अनुसार यदि कोई कर देय होगा तो वह भी नियमानुसार काटा जायेगा।

भवदीय

कृते प्रशासनिक अधिकारी

Tele.: 0121-2575497 (O) Fax: 0121-2576584; Email: cpric.modipuram@gmail.com; cprirs.modipuram@icar.gov.in
Website: http://cpric.res.in

Scanned with CamScanner